झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (विविध) 20 / 2022

प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

अपर समाहर्ता—सह—
जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी
गढ़वा।

राँची, दिनांकः—

विषयः— **परिवादी जेम्स हेरेंज के परिवाद पत्र पर कार्रवाई के संबंध में।**

प्रसंगः— आपका ज्ञापांक—350 दिनांक—07.04.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से अभिलेख संख्या—15 / 2021—22 जेम्स हेरेंज बनाम जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के मामले में पारित आदेश की प्रति प्राप्त है। परिवादी द्वारा अक्टूबर—2021 में सिर्फ PMGKAY का अनाज वितरण का आरोप लगाया गया था। परिवाद पत्र के साथ कई कार्डधारियों का संयुक्त आवेदन भी संलग्न किया गया था। उक्त परिवाद पत्र को आयोग के पत्रांक—WA / 029 / 2021 दिनांक—21.12.2021 द्वारा कार्रवाई हेतु आपको प्रेषित किया गया। सुनवाई के पश्चात् प्रासंगिक पत्र से उक्त परिवाद से संबंधित अभिलेख में आपके द्वारा पारित आदेश की प्रति आयोग को प्राप्त हुई। आपके द्वारा पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्न बिन्दु हैं:—

- अक्टूबर—2021 का अनाज नहीं मिलने की शिकायत परिवादी जेम्स हेरेंज द्वारा की गई थी।
- आपके आदेश में उल्लेखित है कि संबंधित PDS दुकानदार को निलंबित कर दिया गया है।
- यह भी कि शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध करा दिया गया है एवं शिकायतकर्ता द्वारा लिखित में इस आशय का बयान दिया गया है।

परिवाद पत्र में उल्लेखित राशनकार्ड के आहार पोर्टल में उपलब्ध उठाव से कई कार्ड संख्या का मिलान करने पर पाया गया कि इन राशन कार्ड से अक्टूबर—2021 के दोनों प्रकार के चावल एवं गेहूँ का उठाव अक्टूबर में ही कर लिया गया है। अर्थात लाभुक द्वारा किए गए उठाव की ऑनलाईन प्रविष्टि है, परन्तु आपके आदेश में उल्लेखित है कि उक्त अवधि में अनाज कम दिया गया था। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेखित है कि डीलर द्वारा रसीद नहीं दिया जाता है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि:—

1. डीलर द्वारा मात्र PMGKAY का अनाज दिया गया था। रेगुलर अनाज लाभुकों को नहीं दिया गया एवं लाभुक के अँगुठा लगाने पर दोनों योजनाओं के अनाज की संपूर्ण मात्रा की प्रविष्टि कर दी गई। प्रथम दृष्ट्या ही यह मामला कदाचार का है एवं डीलर के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आहार पोर्टल के अनुसार राशन वितरक दीपक स्वयं सहायता समूह वर्तमान में कार्यरत है। इस प्रकार के गबन के बाद भी जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा किस आधार पर दीपक स्वयं सहायता समूह को निलम्बन मुक्त किया गया?
2. आपके आदेश में यह उल्लेखित है कि अनाज उपलब्ध करा दिया गया। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अनाज कहाँ से और किसके द्वारा उपलब्ध कराया गया?

अतः निदेशानुसार कहना है कि उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 से संबंधित सुस्पष्ट प्रतिवेदन दिनांक—15.06.2022 तक आयोग को उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन

ह0 / —
(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx222

पता—झारखण्डराज्य आवासबोर्ड के पुरानेभवन का द्वितीय तल, हरमूहाउसिंगकॉलोनी, राँची—834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

ज्ञापांक :– रा0खा0आ0 (विविध) 20 / 2022 - 497 राँची, दिनांकः– 03.06.2022

प्रतिलिपिः–सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को निदेशानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

3/6/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्डराज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\Anju\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx223

पता–झारखण्डराज्य आवासबोर्ड के पुरानेभवन का द्वितीय तल, हरमूहाउसिंगकॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261